बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/सा.चि.पा.–34/2024– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अमर प्रकाश, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अस्थावॉ, नालन्दा का दिनांक–09.05.2018 से 11.11.2021 तक की अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:–

(i)	दिनांक–09.05.2018 से 09.08.2021 तक	–	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या– 2045(2) दिनांक–30.11.2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक–10.08.2021 से 11.11.2021 तक		असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहिता के नियम–180 के आलोक में)

2 प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/सा.चि.पा.–34/2024– 25877 पटना, दिनांक 29/10/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अरौनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अस्थावॉ, नालन्दा /कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० अमर प्रकाश, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अस्थावॉ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/X/26
सरकार के उप सचिव।

D>Sec-2>2026>adesh 2026